

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 69/2023 (धारा 14 सेक्युरिटीजेशन)  
महिन्दा रुरल हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर 46-47, श्रीनाथ टॉवर, कोरमो  
कॉलोनी, आम्नपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर ।

प्राथी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती रूबी तंवर पत्नी श्री रविन्द सिंह,  
पता :- यूनिट संख्या एस-4, प्लॉट नम्बर एफ-20, द्वितीय तल, मंगलम सिटी, ब्लॉक-एफ,  
हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर।  
एवं बी-133-ए, नया खेडा, अम्बाबाडी, एल.एस. नगर, विद्याधर नगर, जयपुर।
2. श्री रविन्द सिंह पुत्र श्री शिव राम,  
पता :- बी-133-ए, नया खेडा, अम्बाबाडी, एल.एस. नगर, विद्याधर नगर, जयपुर।
3. श्री हेमन्त शर्मा पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा,  
पता :- प्लॉट नम्बर ए-42, मंगलम सिटी, हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर।

अप्राथीगण

ऋणी एवं गारन्टर



This application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 17.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्राथी ऋणी को दिनांक 31-03-2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राथी श्रीमती रूबी तंवर के स्वामित्व की सम्पत्ति यूनिट संख्या एस-4, द्वितीय तल, प्लॉट नम्बर एफ-20, मंगलम सिटी, ब्लॉक-एफ, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट को बन्धक रख कर 18,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 22-08-2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना गई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 18,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 19,81,639/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22-08-2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती रूबी तंवर के स्वामित्व की सम्पत्ति यूनिट संख्या एस-4, द्वितीय तल, प्लॉट नम्बर एफ-20, द्वितीय तल, मंगलम सिटी, ब्लॉक-एफ, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर देवायल हस्त हो।



आज दिनांक 17.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलकत्ता) जयपुर